

audit at the larger branches of public-sector banks is under their consideration. The guidelines in this regard are likely to be issued shortly by RBI.

Income Tax collected from Religious Organisations in the Country

3445. SMT. CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the income tax status of RSS, Vishwa Hindu Parishad, Jamate Islami Hind, Bajrang Dal existing in the country;

(b) whether any income tax exemptions is available to these organisations in respect of donations made to them and the date from which these organisations availed themselves of these concessions;

(c) whether Government have any record in respect of donations received by them if so, the details thereof; and

(d) the legal status of these organisations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SH. M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : Information is being compiled and will be placed on the table of the House in due course.

Seizure of Money in Ahmedabad

3446. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that on the 20th November, 1992 Income Tax officials seized over Rs. 68 lakh from a motor car in Ahmedabad, if so, what are the details thereof;

(b) Whether it is a fact that the Income Tax officials had also found certain documents and diaries showing a large scale racket involving illegal foreign exchange transaction worth crores of rupees if so, what are the details including the individuals involved in it; and

(c) Whether any connection of some politicians was found in the deal, if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) :

(a) No, Sir, However, on 20-11-1991 Rs. 68 lakhs was seized from a Motor Car in Ahmedabad.

The owner of the vehicle admitted that both the car and cash belonged to him and surrendered the seized cash in the statement recorded on oath U/s 132(4) of the Income-tax Act.

(b) A diary was found from another vehicle belonging to the proprietor of a leading Gujarati Daily. The diary, however, contained no evidence regarding illegal foreign exchange transactions.

(c) No, Sir.

Income Tax Defaulters

3447. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of FINANCE be pleased to State :

(a) what are the names of top twenty defaulters of income tax in the country as on the 28th February, 1993;

(b) what is the amount of money by way of income tax that is to be recovered from them; and

(c) the measures taken to recover the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली में बिक्री-कर में वृद्धि

3448. श्री राम जेठमलानी :

श्री बीरेन जे० शाह :

श्री शान्ति त्यागी :

डा० ईश्वर चन्द गुप्ता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में हाल ही में कतिपय

वस्तुओं पर बिक्री कर की दरों में वृद्धि की गई है; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) बिक्री कर में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है और यह वृद्धि किन-किन वस्तुओं के मामले में की गई है;

(ग) बिक्री कर की दरों में वृद्धि से प्रतिवर्ष कुल कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ;

(घ) दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग ने वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितने बिक्री कर की वसूली की थी; और

(ङ) बिक्री कर विभाग ने वर्ष 1991-92 के दौरान वेतन और किराया और विद्युत शुल्क सहित स्थापना संबंधी अन्य मदों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की थी ।

वित्त मंत्रालय में राज्य संत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हाँ । दरों में वृद्धि निम्नलिखित के लिए की गई है ।

(i) चुंगी को समाप्त कर दिए जाने के कारण हुई राजस्व हानि को ध्यान में रखते हुए योजनागत स्कीमों तथा कार्य-क्रमों का वित्तपोषण करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना;

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर बिक्री कर की दरों को युक्ति-संगत बनाना ।

(ख) एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिये) ।

(ग) लगभग चालीस करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ।

(घ) 778 करोड़ रुपये (लगभग)

(ङ) पांच करोड़ और पचास लाख रुपये (लगभग) ।

विवरण

क्र० सं०	जिन्स	कर की पहले वाली दर	कर की संशोधित दर
1	2	3	4
1.	रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और अन्य प्रशीतन उपकरण और उपस्कर इनमें रूम कूलर और पानी के कूलर और संघटक हिस्से, अतिरिक्त पुर्जों और उनके उपांग शामिल हैं ।	10%	12%
2.	वायरलेस रिसेप्शन उपकरण और उपस्कर, रेडियो और रेडियो ग्रामोफोन, टेलिविजन सैट, एक्जामिलेटरस, एम्पलीफायरस और लाउडस्पीकर और उनके अतिरिक्त पुर्जों, संघटक हिस्से और उपांग और इलेक्ट्रिकल वाइर ।	10%	12%

1	2	3	4
3.	कैमरों, प्रोजेक्टरों और साउंड रिकार्डिंग और रिप्रोड्यूसिंग उपस्कर सहित स्निमेटोग्राफिक उपकरण और उनके इस्तेमाल के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जें और संघटक हिस्से और उपांग और लेन्स फिल्मों और सिनेमा कार्बन ।	10%	12%
4.	फोटोग्राफिक और अन्य कैमरे और एनलार्जर, लैन्स, फिल्मों और उनके साथ इस्तेमाल के लिए अपेक्षित प्लेटें, पेपर और अन्य संघटक हिस्से, अतिरिक्त पुर्जें और उपांग जिसमें फोटोग्राफिक रसायन और फोटोग्राफ भी शामिल हैं परन्तु एक्सरे उपकरण और उसके अवयव हिस्से अतिरिक्त पुर्जें और उपांग उसमें शामिल नहीं हैं ।	10%	12%
5.	दीवार की सभी घड़ियां, टाईम पीस, घड़ियां इलेक्ट्रिक टाईम स्विच और मैकेनिकल टाईमर और उनके संघटक हिस्से, अतिरिक्त पुर्जें और उपांग ।	10%	12%
6.	सभी अस्त्र जिनमें राइफलें, रिवाल्वर, पिस्टलें और उनके लिए गोलाबारूद और उनके संघटक हिस्से, अतिरिक्त पुर्जें और उपांग ।	10%	12%
7.	टाईपराइटर, टेबुलेटिंग, केलकुलेटिंग केशरजिस्टरिंग, इन्डैक्सिंग, कार्ड पंचिंग, फ्रैंकिंग और एड्रैसिंग मशीनें टेलिप्रिन्टर और डुप्लीकेटिंग मशीन और उनके संघटक हिस्से, अतिरिक्त पुर्जें और उपांग ।	10%	12%
8.	सभी प्रकार के सैनिटरी माल और फिटिंग ।	10%	12%
9.	(i) ग्लास के बने हुए सभी माल परन्तु प्लेन ग्लास, पेन, ग्राफ्टिकल लैन्स, हरीकेन लेन्टरन चिमनियां फायलस क्लीनिकल सिरिजें, थर्मामीटर, चूड़ियां और वैज्ञानिक उपकरण और ग्लास के बने हुए उपकरण इसमें शामिल नहीं हैं । (ii) ग्लेक्सड ग्रंथवेयर	10%	12%
10.	शराब (विदेशी शराब और भारत में बनी विदेशी शराब)	10%	12%
11.	लोहे और स्टील के सौफ और अलमारियां	10%	12%
12.	(i) लाईट डीजल ग्रायल/हार्डस्पीड डीजल (ii) लुब्रीकेंट (iii) मिनरल टरपेनटाइन	7% 7% 7%	8% 8% 10%
13.	कास्मेटिक्स, परफ्यूमरी और प्रसाधन सामग्री परन्तु इसमें साबुन, ब्रूथ-ब्रुश, टूथ-पेस्ट, कुम-कुम, धूप और अगर-बत्ती शामिल नहीं हैं ।	10%	12%
14.	चमड़े का माल इसमें जूते, बेल्ट और चमड़े से बनी खेल की वस्तुएं शामिल नहीं हैं ।	10%	12%
15.	सिप्रेट केस और लाइटर	10%	12%

1	2	3	4
16.	डिक्टाफोन, टेपरिकार्ड और साऊंडिंग रिकार्डिंग के लिए ऐसे ही अन्य उपकरण और उनके संघटक हिस्से, अतिरिक्त पुर्जों और उपांग ।	10%	12%
17.	साऊंड ट्रान्समिटिंग उपकरण जिसमें टेलिफोन और लाउड-स्पीकर और उनके संघटक हिस्से, अतिरिक्त पुर्जों और उपांग शामिल हैं परन्तु किसी व्यक्ति द्वारा हियरिंग ऐड के रूप में, इस्तेमाल किये जाने वाले एम्पलीफाइंग उपकरण शामिल नहीं हैं ।	10%	12%
18.	बायनोकूलर, टेलिस्कोप और ओपेरा ग्लास और उनके संघटक हिस्से, अतिरिक्त पुर्जों और उपांग ।	10%	12%
19.	ग्रामोफोन, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड-चेन्जर तथा हिस्से पुर्जों, इनके फालतू पुर्जों तथा उपांग और रिकार्ड्स तथा सुईयां ।	10%	12%
20.	टाचों को छोड़कर बिजली का सारा माल; टाच सैल तथा फिलामेंट लाईटिंग बल्ब ।	10%	12%
21.	सभी प्रकार के वैक्यूम फ्लास्क (थर्मोस, थर्मिक जग, आइस बक्क, अथवा वाक्स, खाना तथा मादक पेयों को गरम अथवा ठंडा रखने के लिए कलश तथा अन्य घरेलू आधानों सहित) और इनके रिफिल ।	10%	12%
22.	सिंगल यूनिट के रूप में बेचे गए पिकनिक सैट ।	10%	12%
23.	लोहे तथा इस्पात फर्नीचर सहित फर्नीचर ।	10%	12%
24.	शीटें, कुशन, पिलो-मैट्रेसिस तथा फोम रवड़ अथवा प्लास्टिक फोम अथवा सखिल्लट फोम से बनाई गयी अन्य वस्तुएं ।	10%	12%
25.	फर तथा इससे बनायी गयी व्यक्तिगत अथवा घरेलू प्रयोग हेतु वस्तुएं ।	10%	12%

1	2	3	4
26. स्टेनलेस स्टील से बनायी गयी वस्तुएं तथा माल परन्तु सैंफ्टी रेजर ब्लेडों तथा शल्य चिकित्सा उपकरण अथवा भाग अथवा औद्योगिक मशीनरी तथा संयंत्र को छोड़ कर।		7%	10%
27. पेराम्बूलेटर्स		7%	12%
28. रंगीन माचिसों सहित आतिशबाजी		10%	12%
29. सभी प्रकार की ग्लेज्ड, वरवस टाइल्स और मेसिक टाइल्स, सनमाईका फोरमिका जैसी चमकदार शीटें।		10%	12%
30. (i) पाइल कारपेट्स		10%	12%
(ii) उपर्युक्त मद (i) द्वारा शामिल न की सभी प्रकार की नमैं कारपेट ।		10%	12%
31. सीमेंट		7%	8%
32. पेन्ट्स		7%	10%
33. देशी शराब		7%	10
34. शल्य चिकित्सा उपकरण अथवा औद्योगिक मशीनरी के पुर्जों ।		5%	10%
35. हाथी दांत की वस्तुएं		7%	10%
36. वातित पेय		7%	10%
37. चाशनी		5%	8%
38. डिस्टिल्ड वाटर		5%	8%
39. कीमती रत्न चाहे कटे हुए हों अथवा नहीं हों, असली अथवा कृत्रिम		7%	10%
40. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं		7%	10%

Replacing Sales Tax with Value Added Tax

3449. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is much clandestine movement of commodities between the States due to anomalies in sales tax structure and resultant draining of Government revenue; and

(b) if so, whether Government propose to replace sales tax with value added tax

(VAT) which is prevalent in most developed countries ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) There are no such reports.

(b) No, Sir.

Evasion of Taxes by SPIC

3450. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :